कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति ,सांवेर ,जिला–इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2019–20/787 सांवेर,दिनांक 19.09.19

।। रिक्त संरचनाओ को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर आवंटन की चतुर्थ आमंत्रण सूचना।।

कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर के द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण,सांवेर एवं उपमंडी प्रांगण चन्द्रावतीगंज में रिक्त संरचनाओ को जहॉ है, जैसी स्थिति में वार्षिक अनुज्ञप्ति पर 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 25 मई 2009 के अधीन आवंटित करने हेतु नीलामी बोली दिनांक 17.10.19 को समय दोपहर 01:00 बजे कार्यालय,कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर में आयोजित की गई है, उक्त जिन संरचनाओ को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर आवंटन किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संरचनाओ एवं भूखण्ड का नाम एवं स्थल	संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग मीटर) **प्रत्येक संरचना**	अनुज्ञप्ति फीस वार्षिक रूपये **प्रत्येक संरचना**	संरचना की अपसेट वैल्यू (रू. में) **प्रत्येक संरचना**	नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली अग्रिम धन राशि (रू. में) प्रत्येक संरचना
01	02	03	04	05	06	07
01	200मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	03	126.04	3781/-	14,27,496/-	**1,42,750/-**
02	500मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	01	315.84	9475/-	22,26,115/-	**2,22,612/-**
03	शॉप कम गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	05	21.30	639/-	1,34,911/-	**13,491/-**
04	सेन्ड्रीशाप मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	20	21.30	639/-	1,40,498/-	**14,050/-**
05	ऑफिस कम गोदाम उपमंडी प्रागंण चन्द्रावतीगंज	01	108.00	3240/-	4,19,126/-	**41,913/-**
06	200मे.टन क्षमता गोदाम उपमंडी प्रागंण चन्द्रावतीगंज	01	126.04	3781/-	6,07,880/-	**60,788/-**

–शर्ते–

(1) उपरोक्तानुसार संरचनाओ को [illegible] 30 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति पर मंडी समिति, सांवेर के अनुज्ञप्तिधारी पात्र व्यापारियो/फर्म को म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। दिनांक 16.10.19 तक की स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को ही निलामी प्रक्रिया मे भाग लेने दिया जायेगा। उक्त दिनांक के पश्चात के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म भाग नही ले सकेगे। **सरल क्रमांक 04 में कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि जमा कर नीलामी में भाग ले सकेगा।**

(2) उपरोक्तानुसार संरचनाओ की निलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक मंडी समिति, सांवेर में अग्रिम धन के रूप में उनके सम्मुख दर्शित राशि कॉलम क्रमांक 07 के अनुसार नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप मे सचिव कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर के नाम से देय हो, निलामी बोली के एक दिन पूर्व दिनांक 16.10.19 तक कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(3) किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक संरचना आवंटित नही की जावेगी, जिस अनुज्ञप्तिधारी के पास पूर्व से संरचना आवंटित है वह निलाम प्रक्रिया मे भाग नही ले सकेगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

(4) उच्चतम बोली लगाने वाले अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को मंडी समिति द्वारा उसकी बोली स्वीकृति की लिखित सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर बोली की पूर्ण रकम निक्षेप (जमा) करना अनिवार्य होगा। इस राशि मे आवेदन के साथ जमा अग्रिम धन की राशि समायोजित की जा सकेगी। उक्त संरचनाओ के आवंटन हेतु उनके सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 मे दर्शित ऑफसेट कीमत ही न्यूनतम शासकीय बोली रहेगी, इस न्यूनतम ऑफसेट कीमत से ऊंची बोली ही मान्य की जावेगी।

(5) मंडी समिति, आवंटन नियम 2009 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के लिये रूपये 30/– प्रति वर्ग मीटर की दर से न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस उद्‌ग्रहीत करेगी। अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात मंडी समिति के वर्गीकरण मे किये गये किसी परिवर्तन के कारण मूलतः नियत की गयी अनुज्ञप्ति फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। आवंटित संरचना पर नियमानुसार सर्विस टेक्स देय होगा।

(6) मंडी समिति द्वारा आवंटन नियम 2009 के नियम 13 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस रूपये 30/– प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित की जायेगी। दरों मे कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

(7) उपरोक्तानुसार संरचनओ की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के अनुज्ञप्तिधारियों हेतु आरक्षित है, जो कि, निम्नानुसार है,**मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर में शॉप कम गोदाम क्र.03एवं सेन्ड्रीशाप क्र.5 एवं क्र.15 आरक्षित है,** जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति शर्त क्रमांक 02 का पालन करते हुए आवेदन के साथ संलग्न जमा करना अनिवार्य होगा।

(8) यदि आरक्षित संरचनाओ के आवंटन के लिये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अनुज्ञप्तिधारी आगे नहीं आता है तो इन संरचनाओ को अनारक्षित माना जायेगा तथा तदनुसार तत्समय ही उनका निपटारा (निलाम) किया जायेगा।

(9) मंडी समिति द्वारा संरचना आवंटन के संबंध मे लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी रहेगा एवं मंडी समिति कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगी।

(10) विस्तृत शर्ते कार्यालयीय समय एवं दिवस मे कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर मे अवकाश दिवस छोडकर देखी जा सकती है।

(11) नीलाम की बोली रू.500/– के गुणांक में ही स्वीकार की जावेंगी।

(12) उक्त रिक्त संरचनाओं के आवंटन की सूचना के संबंध मे विस्तृत जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

(लक्ष्मी नारायण पाटीदार)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
सांवेर (म.प्र.)

(रविश श्रीवास्तव)
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
सांवेर (म.प्र.)

(मंडी में कृषि उपज बेचे वह चतुर किसान, सही तौल समय पर भुगतान)

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner